

को पेश हो।

24.2.2020

बार सभ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया।
पूर्वानुसार दिनांक 27.2.2020
को पेश हो।

27-2-2020

Noted.
27.2.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलवादी वकील
उपाध्याय/ प्रा.पत्र अनुसार अपीलवादी
राज्य उपसिवेशन विभाग के पत्रांक
3(45)34/2017 दि. 2017 के जारी
आदेश सूचना अनुसार पश्चात भाषि
को विशेष आवंटन से मुंहत प्रभाव से
कि प्रमाणों का हवाला देते हुए अपने
राम आदेशों को सुरक्षित रखते
हुए अपीलवादी को न्यायालय। अतः
अपीलवादी के विधिक आदेशों को सुरक्षित
रखते हुए अपीलवादी को न्यायालय
की जानी है। पत्रावली मंजूर से काम चल
गारबल दफ्तरे है।

